दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-१११ वा | गुरूवार १४ मे २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

मनमानी किराया वृद्धि करने वाले निजी बस परिवहनकर्ताओं और अवैध यात्री ऐप्स पर कार्रवाई करें-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

जमीर काज़ी

मुंबई : राज्य में निजी यात्री बस परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही अवैध किराया वृद्धि तथा अनधिकृत मोबाइल ऐप्स के माध्यम से यात्रियों के आर्थिक शोषण को लेकर सरकार गंभीर है, ऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान तथा दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए सह परिवहन आयुक्त और सुराज्य अभियान के तीन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए।

इस अवसर पर आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, सुराज्य अभियान संगठन के अभिषेक मुरुकटे, अरविंद पानसरे, सुनील हनवट आदि उपस्थित थे।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि ▶▶पान ४ पे

उर्दू घर को तत्काल निधि सहित मंजूरी मिली

आ. संदीप क्षीरसागर ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

बीड, १३ मई (प्रतिनिधि): जिले में उर्दू भाषा के संवर्धन, साहित्य प्रसार और सांस्कृतिक गतिविधियों को गति देने के लिए बीड शहर में उर्दू घर (उर्दू घर) बनाने के लिए आ. संदीप क्षीरसागर लंबे समय से निरंतर प्रयासरत थे। उनके पाठपुरावे को अंततः सफलता मिल गई है। शासन की ओर से बीड शहर में उर्दू घर निर्माण के लिए निधि सहित मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इस उपलब्धि पर आ. संदीप क्षीरसागर ने मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिले के पालकमंत्री ना. सुनेत्राताई पवार और उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे का आभार व्यक्त किया है।

बीड शहर में उर्दू घर के निर्माण के लिए पिछले कई दिनों से आ. संदीप क्षीरसागर सक्रिय प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार पाठपुरावा किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस से मुलाकात भी की थी। साथ ही शासन को पत्राचार और निरंतर फॉलो-अप किया था।

इस पर शासन के अल्पसंख्यांक विभाग ने बीड शहर में उर्दू घर निर्माण के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस भवन से बीड शहर में उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा।

इस सकारात्मक और ऐतिहासिक फैसले के लिए आ. संदीप क्षीरसागर ने बीड विधानसभा क्षेत्र की ओर से मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार व कृतज्ञता व्यक्त की है।

आ. क्षीरसागर के निरंतर पाठपुरावे से मिली इस सफलता को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले से मुस्लिम समाज में आ. संदीप क्षीरसागर के प्रति सकारात्मक लहर पैदा हुई है।

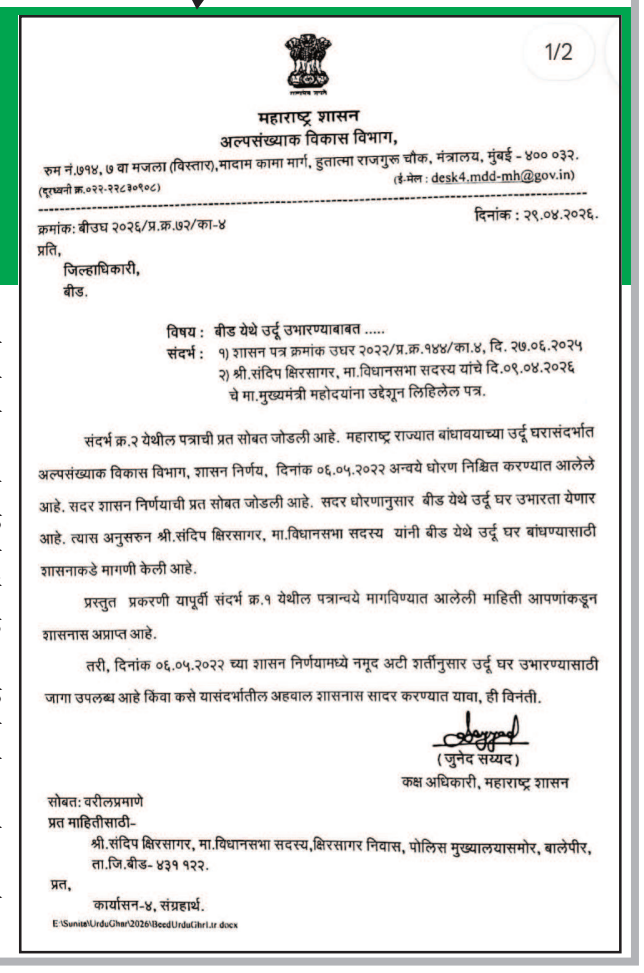

1/2

महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग,
रुम नं.७१४, ७ वा मजला (विस्तार),मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
(दूरध्वनी क्र.०२२-२२८३९१०८) (ई-मेल : desk4.mdd-mh@gov.in)

क्रमांक: बीउघ २०२६/प्र.क्र.७२/का-४ दिनांक : २९.०४.२०२६.

प्रति,
जिल्हाधिकारी,
बीड.

विषय : बीड येथे उर्दू उभारण्याबाबत .....
संदर्भ : १) शासन पत्र क्रमांक उघर २०२२/प्र.क्र.१४४/का.४, दि. २७.०६.२०२५
२) श्री.संदिप क्षिरसागर, मा.विधानसभा सदस्य यांचे दि.०९.०४.२०२६ चे मा.मुख्यमंत्री महोदयांना उद्देशून लिहिलेल पत्र.

संदर्भ क्र.२ येथील पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. महाराष्ट्र राज्यात बांधावयाच्या उर्दू घरासंदर्भात अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०६.०५.२०२२ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर धोरणानुसार बीड येथे उर्दू घर उभारता येणार आहे. त्यास अनुसरुन श्री.संदिप क्षिरसागर, मा.विधानसभा सदस्य यांनी बीड येथे उर्दू घर बांधण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी यापूर्वी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये मागविण्यात आलेली माहिती आपणांकडून शासनास अप्राप्त आहे.

तरी, दिनांक ०६.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी शर्तीनुसार उर्दू घर उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, ही विनंती.

(जुनेद सय्यद)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

सोबत: वरीलप्रमाणे
प्रत माहितीसाठी-
श्री.संदिप क्षिरसागर, मा.विधानसभा सदस्य,क्षिरसागर निवास, पोलिस मुख्यालयासमोर, बालेपीर, ता.जि.बीड- ४३१ १२२.
प्रत,
कार्यासन-४, संग्रहार्थ.
E:\Sunita\UrduGhar\2026\BeedUrduGhar1.tr.docx

पुलिस कार्रवाई में गोरक्षकों को साथ लेना नियमों का उल्लंघन-शेख मुजीब

बीड़ : संवाददाता

गोवंश की अवैध ढुलाई करने वालों के खिलाफ सूचना मिलने पर केवल पुलिस या संबंधित अधिकारियों को ही कार्रवाई करनी चाहिए। खासगी व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट निर्देश राज्य के पुलिस महानिदेशक ने ७ अगस्त २०२५ के परिपत्रक के माध्यम से दिए थे।

इन निर्देशों के बावजूद दो दिन पहले पेठ बीड़ पुलिस ने शहर के मोमीनपुरा इलाके में गोवंश से संबंधित कार्रवाई करते समय खासगी गोरक्षकों को अपने साथ लिया। सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस पहुंचने से पहले ही इन गोरक्षकों ने मोमीनपुरा पहुंचकर कई घरों के ताले तोड़ दिए, जबरन घरों में घुस गए और दबाव-धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

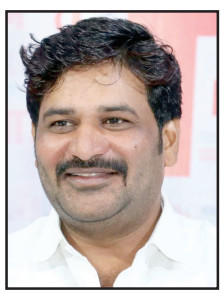

शेख मुजीब का सवाल:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित दादा गुट) के नेता शेख मुजीब ने पूछा है कि पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट पत्र के बावजूद पेठ बीड़ पुलिस को कार्रवाई के समय गोरक्षकों को साथ लेने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने कहा कि एसपी साहब, क्या इस तरह गोरक्षकों को साथ लेकर बीड़ में दंगा करवाना चाहते हैं? इस कार्रवाई के खिलाफ वे कोर्ट जाएंगे।

शेख मुजीब ने कहा कि कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पेठ बीड़ पुलिस ने गोरक्षकों को शामिल किया, वह पूरी तरह गलत और नियम-विरुद्ध है।

परिपत्रक का उल्लंघन

स्वर्गीय अजितदादा पवार के समय में कुरेशी समाज के नेताओं ने गोरक्षकों द्वारा हो रहे अत्याचारों के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस महानिदेशक के स्तर पर ७ अगस्त २०२५ को डॉ. मनोजकुमार शर्मा द्वारा विशेष परिपत्रक ▶▶पान ४ पे

खाते समय निवाला गले में अटकने से पुलिस कर्मचारी की मौत

परळी वैजनाथ (प्रतिनिधि):

यात्रा के दौरान खाना खाने के लिए रुके हुए एक पुलिस कर्मचारी का निवाला गले में अटक जाने से दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। यह घटना परळी-अंबाजोगाई मार्ग पर घटी है। मृतक पुलिसकर्मी जिले के बाहर कार्यरत थे।

मिली जानकारी के अनुसार, उक्त पुलिस कर्मचारी परळी-अंबाजोगाई मार्ग स्थित एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। खाते समय अचानक निवाला गले में फंस गया, जिससे उन्हें तेज खांसी आने लगी और उल्टी शुरू हो गई। इसी दौरान उनकी प्राणज्योति बुझ गई।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक १२.०५.२०२६ को शाम १८:०० बजे देवेंद्र रामरावजी गुजर (उम्र ५५ वर्ष), निवासी आर्वी, तालुका आर्वी, जिला वर्धा, खाना खाते समय छाती में दर्द होने से मृत्यु हो गई।

मामले की सूचना मिलते ही मृतक के आकस्मिक मृत्यु का प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच सफौ/२०४ टोले को सौंपी गई है।

मृतदेह का पोस्टमॉर्टम परळी स्थित उपजिल्हा अस्पताल में किया गया है।

एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारी की इस आकस्मिक मृत्यु से पुलिस विभाग के साथ-साथ पूरे इलाके में गहरी शोक की लहर फैल गई है।

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाया, बीजेपी काल का विवादित आदेश वापस

बेंगलुरु: संवाददाता

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें २०२२ में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है।

नए आदेश के अनुसार, अब छात्राएं निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित पारंपरिक और धार्मिक विश्वासों से संबंधित प्रतीकों सहित हिजाब पहनने की अनुमति प्राप्त होंगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले तीन वर्षों से राज्य में हिजाब का मुद्दा कानूनी और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ था। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और शोवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए आदेश की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी छात्रों को उनकी धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पृष्ठभूमि:

हिजाब विवाद फरवरी ▶▶पान ४ पे

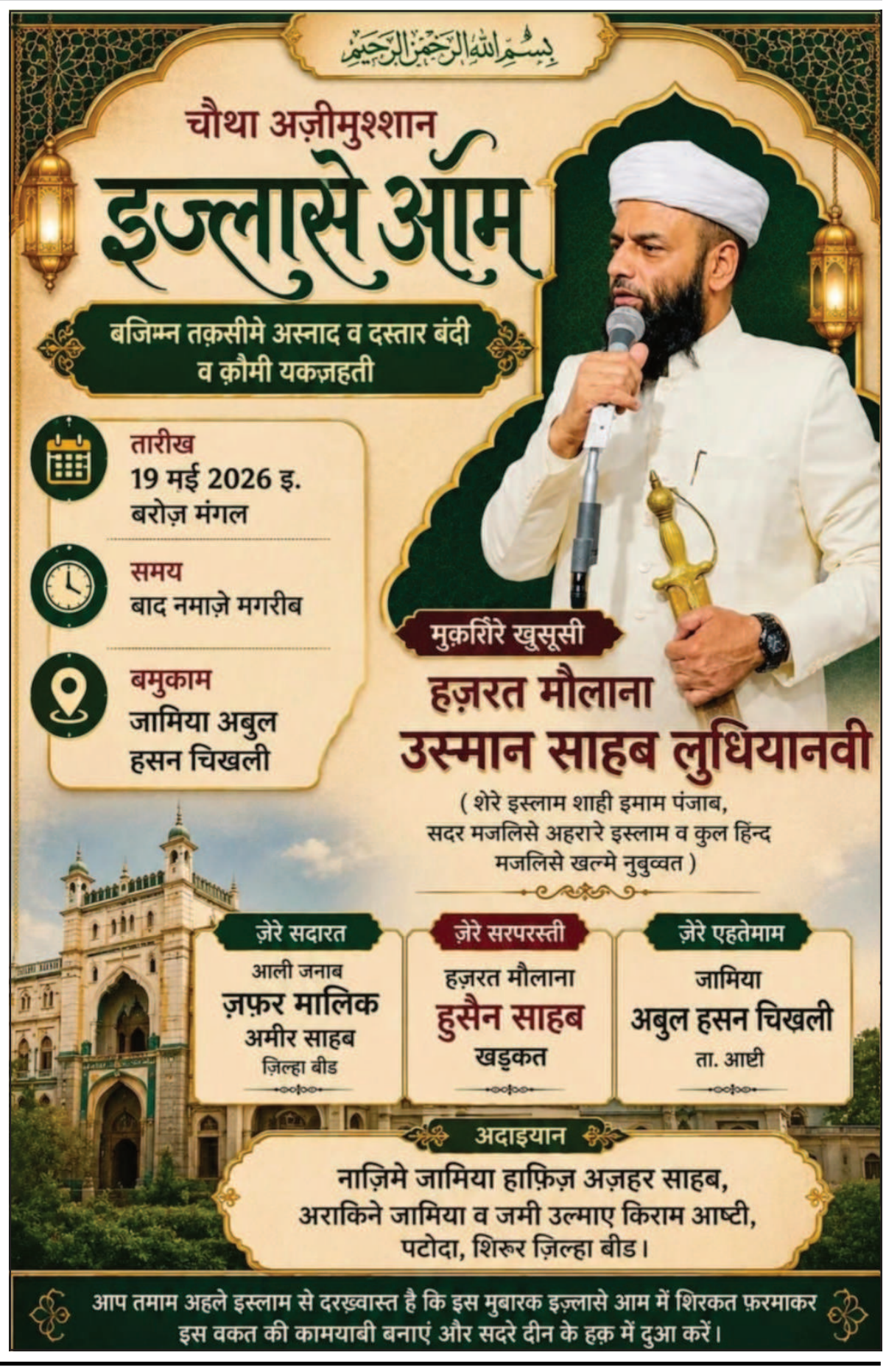

नीट पेपर लीक मामले पर मुंबई यूथ कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

मुंबई जमीर काजी

नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (गझउ) गठित की जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें

मुंबई: देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले 'नीट' पेपर लीक मामले के खिलाफ मुंबई यूथ कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष ज़ैनत शबरीन के नेतृत्व में आज फोर्ट क्षेत्र में स्थित राज्य उएढ सेल कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और भाजपा सरकार के खिलाफ तीखे नारे लगाए।

इस मौके पर संबोधित करते हुए मुंबई यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ैनत शबरीन ने कहा कि 'नीट' परीक्षा का पेपर लीक होने से पूरे देश के २४ लाख छात्र और उनके माता-पिता के सपने चूर-चूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही प्रभावित छात्रों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

ज़ैनत शबरीन ने आगे कहा कि 'नीट' पेपर लीक मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (गझउ) का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे पेपर लीक रैकेट के पीछे भाजपा से जुड़े लोगों का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जो अवैध तरीकों से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ छात्रों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में २०२४ की 'नीट' परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ज़ैनत शबरीन ने कहा कि पेपर लीक घोटाले में शामिल लोगों को भाजपा सरकार बड़े-बड़े पद देकर नवाज रही है।

इस प्रदर्शन में मुंबई यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज चौधरी, महासचिव तेजस चांदोरकर, आसिफ खान, गुरमन सिंह, गणेश शिगार, मतीश सोनकर, संतोष यादव, जिला अध्यक्ष शेखर जगताप, शिव यादव, अब्दुल समद, विधानसभा अध्यक्ष इमरान खान, प्रसन्न रंदीवे, आशीष सरोज, अल्तमश कुरैशी, राहुल पेडणेकर, राज तोरे राव, सचिन, बृज मोहन यादव, साहेब, मजार और अबू तालिब समेत सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

भोपाल में कथित आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

जलगांव ज़िला एकता संगठन द्वारा ज़िला पेठ पुलिस थाने में शिकायत प्रस्तुत

जलगांव (अकिल खान ब्यावली):

मध्यप्रदेश की राजधानी में सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म,अल्लाह तथा मुस्लिम समाज की पूजनीय हस्तियों के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक, अशोभनीय एवं भड़काऊ टिप्पणियां किए जाने के विरोध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस संदर्भ में जलगांव ज़िला एकता संगठन के समन्वयक फारुक शेख ने ज़िला पेठ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अनिल वाघ को लिखित शिकायत सौंपकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की है।

प्रस्तुत शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रयुक्त भाषा न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, बल्कि इससे समाज में वैमनस्य, घृणा एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका भी बढ़ सकती है। शिकायतकर्ताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर चुनौती बताया है।

फारूक शेख ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं का उल्लेख किया है, जो धार्मिक भावनाएं भड़काने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने से संबंधित हैं। साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि घृणास्पद भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

शिकायत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जीरो एफआईआर व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि घटना भले ही मध्यप्रदेश में हुई हो, किन्तु महाराष्ट्र के नागरिक भी इस संबंध में कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही मामले को भोपाल पुलिस को हस्तांतरित करने की मांग भी की गई है।

शिकायतकर्ताओं ने कहा कि यदि धर्म और आस्था के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संविधान और कानून व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा समाज में शांति, सद्भाव और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने के पक्षधर हैं।

इस अवसर पर हाफ़िज़ अब्दुल रहीम पटेल, एडवोकेट आवेश शेख, आरिफ देशमुख, एडवोकेट ज़फर मिर्जा, रहीम शेख एरंडोल, गुलाम मिर्जा, तौहिद खान, अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जयभवानी सहकारी साखर कारखाने द्वारा गन्ना दर में किसानों की लूट, ३१०० रुपये भाव न दिए तो आंदोलन-बाळराजे पवार का इशारा

काजी अमान/गेवराई

: जयभवानी सहकारी साखर कारखाने ने गन्ना उत्पादक किसानों को एक बार फिर धोखा दिया है। अन्य कारखानों ने प्रति टन तीन हजार रुपये से अधिक भाव दिया है, जबकि जयभवानी कारखाने ने किसानों को मात्र २७७५ रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया है।

भाजपा नेता बाळराजे पवार ने कहा कि चुनाव आते ही किसानों के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाई जाती है, लेकिन जब किसानों के हक के पैसे देने की बारी आती है तो हाथ खींच लिया जाता है। उन्होंने माजी विधायक अमरसिंह पंडित पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

बाळराजे पवार ने चेतावनी दी कि गेवराई विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों को प्रति टन ३१०० रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाए, अन्यथा जयभवानी सहकारी साखर कारखाने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

जयभवानी सहकारी साखर कारखाने ने जनवरी महीने तक का पहला हफ्ता मात्र २७७५ रुपये प्रति टन के हिसाब से किसानों के खातों में जमा किया है। वहीं बारामती एग्रो, सोलापुर, जालना और अहिल्यानगर जिले के कई साखर कारखानों ने किसानों को प्रति टन तीन हजार रुपये से अधिक भाव दिया है। जयभवानी कारखाने ने जनवरी के बाद एक भी पैसा नहीं दिया है।

पवार ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय किसानों के प्रति कथित सहानुभूति दिखाकर माजी आमदार अमरसिंह पंडित बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में किसानों की कोई परवाह नहीं करते। कारखाने ने किसानों की आर्थिक लूट कर उनके मानसिक शोषण किया है।

उन्होंने कहा कि अन्य दस कारखाने किसानों का गन्ना ले जाते हैं और अच्छा भाव देते हैं, लेकिन जयभवानी के कारखानेदार मनमानी कर रहे हैं और किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह झुंडशाही है।

बाळराजे पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। पेरणी के समय खाद, बीज, दवा, मजदूरी और बिजली के दामों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में गन्ने का उचित भाव मिलना किसानों का हक है।

जयभवानी कारखाना प्रबंधन किसानों के परिश्रम की उचित कीमत देने के बजाय उनकी आर्थिक लूट कर रहा है। अगर उचित भाव नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा भाजपा नेता बाळराजे पवार ने दिया है।

सीईओ जितिन रहमान ने जिला परिषद में अतिरिक्त कामकाज के नाम पर चल रहे प्रतिनियुक्तियों के बाजार को उठाया!

डॉ. गणेश ढवळे के निरंतर अनुसरण को मिली सफलता

बीड (१३ मई): संवाददाता

बीड जिला परिषद में क और ड संवर्ग के कर्मचारियों की प्रशासनिक बदली के बाद अतिरिक्त कामकाज के आकर्षक नाम से उसी विभाग या तालुका में कर्मचारियों को फिर से कार्यरत रखने की प्रथा पर अंततः लगाम लग गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर के निरंतर अनुसरण को अंततः सफलता मिली है।

जिला परिषद में पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक बदली समुपदेशन (काउंसलिंग) के माध्यम से की जा रही थी, लेकिन वास्तव में कुछ पसंदीदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कामकाज के नाम पर उसी जगह पर रखा जा रहा था। इससे बदली की प्रक्रिया मात्र दिखावटी साबित हो रही थी, जिसकी भावना कर्मचारियों और आमजन में फैल गई थी।

इस प्रथा से प्रशासन में पारदर्शिता नहीं रहने और विभाग प्रमुखों द्वारा पसंदीदा कर्मचारियों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए डॉ. गणेश ढवळे ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान से व्यक्तिगत मुलाकात कर लिखित आवेदन के माध्यम से इस प्रथा को तुरंत बंद करने की मांग की थी। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी थी।

इस पृष्ठभूमि पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला परिषद बीड के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त कामकाज कर रहे कर्मचारियों की समीक्षा की। शासन स्तर पर कोई नई योजना या पद भरती प्रक्रिया चल रही न होने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं बताते हुए उन्होंने प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर कुल १३ कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्यभार समाप्त कर दिया है।

इस संबंध में आज दिनांक १३ मई को आदेश जारी किया गया है। संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापन स्थल पर पूर्णकालिक कार्य करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ ही तुरंत मूल स्थान पर रिपोर्टिंग करने और उसका रिपोर्ट सौंपने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से जिला परिषद में अतिरिक्त कामकाज के नाम पर चल रही प्रतिनियुक्ति की प्रथा पर कुछ हद तक लगाम लगने की चर्चा शुरू हो गई है।

दरमियान, इस निर्णय पर डॉ. गणेश ढवळे ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान का आभार व्यक्त किया है।

जनगणना में भाग लें: नगराध्यक्षा प्रेमलताताई पारवे का आवाहन

बीड (प्रतिनिधि) - 'जनगणना से जन कल्याण'। जनगणना के माध्यम से सही आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं के साथ-साथ बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों का बेहतर नियोजन किया जा सकता है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इसलिए जनगणना बहुत जरूरी है।

मैंने स्वयं जनगणना में भाग लिया है और अपनी जानकारी भरी है। आप भी जनगणना में अवश्य भाग लें।

यह आवाहन बीड नगराध्यक्षा प्रेमलताताई पारवे ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और जानकारी संकलन के लिए आने वाले हर गणक कर्मचारी को पूरा सहयोग देना चाहिए।

बीड शहर सहित पूरे जिले में जनगणना चल रही है। यह भारत की १६वीं और स्वतंत्रता के बाद की ८वीं जनगणना है। यह पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें गणक कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

पहली बार नागरिकों को खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी दी गई है।जनगणना दो चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की सूची और गृह जनगणना तथा दूसरे चरण में लोकसंख्या जनगणना होगी।

नगराध्यक्षा प्रेमलताताई पारवे ने अपील की है कि बीड शहर के हर नागरिक को जनगणना प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। संबंधित पोर्टल पर अपनी घर की जानकारी भरें और घर आने वाले गणक को यह जानकारी देकर पूरा सहयोग करें।

पान १ वरून

मनमानी किराया वृद्धि करने वाले निजी...

गठित समिति निजी बसों की किराया वृद्धि पर नियंत्रण, अवैध बुकिंग ऐप्स पर रोक तथा यात्रियों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली बैठक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई निजी ट्रैवल्स कंपनियों द्वारा अनधिकृत ऐप्स के माध्यम से यात्रियों की बुकिंग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों से मनमाने टिकट दर वसूले जाते हैं। यात्रियों की आर्थिक लूट करने वाले ऐसे बस परिवहनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

बस स्टैंडों पर संपर्क व्यवस्था को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने प्रत्येक बस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से संबंधित संपर्क नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही परिवहन विभाग को बदले गए गांवों के नामों तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध मराठी भाषा के उपयोग को लेकर परिपत्र जारी करने और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

१ जून से एसटी के शौचालय मुफ्त

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि आगामी १ जून से महामंडल के राज्यभर के सभी बस स्टैंडों पर शौचालयों का उपयोग निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

पुलिस कार्रवाई में गोरक्षकों...

जारी किया गया था। इसमें साफ कहा गया था कि किसी भी कार्रवाई में खासगी व्यक्तियों को शामिल न किया जाए। गाड़ियां रोकना, तलाशी लेना या मारपीट करना कानून के अनुसार नहीं है।

इस परिपत्रक का पूरे राज्य में पालन होना चाहिए था, लेकिन पेठ बीड़ पुलिस ने इसे षश्ररसीरपींश्रू उल्लंघन किया। पुलिस पहुंचने से पहले गोरक्षक वहां पहुंच गए थे, ताले तोड़े, घरों में घुसे और महिलाओं-बच्चों के सामने दहशत फैलाई। उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाकर वायरल की।

मुख्य मांगें एसपी तुरंत इस मामले की जांच करें। कार्रवाई का पूरा वीडियो फुटेज मंगवाया जाए। गोरक्षकों पर कार्रवाई हो और उन्हें साथ लेने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।

चौकट:

कार्रवाई का विरोध नहीं, लेकिन तरीका गैरकानूनी

एक और सवाल:

सभी गोरक्षक बीड़ के बाहर के जिलों के बताए जा रहे हैं। वे बीड़ के बार्शी रोड स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। ये गोरक्षक बीड़ में कैसे आए? क्या जानबूझकर बीड़ की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उन्हें यहां लाया गया? इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए।

शेख मुजीब ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला:...

२०२२ में शुरू हुआ था, जब उदुपी के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में बैठने से रोका गया था। उस समय की बीजेपी सरकार ने ५ फरवरी २०२२ को एक आदेश जारी किया था, जिसमें केवल निर्धारित यूनिफॉर्म पर जोर दिया गया था, जिसे हिजाब पर प्रतिबंध के रूप में देखा गया। इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। मार्च २०२२ में हाईकोर्ट ने प्रतिबंध को बरकरार रखा था और कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया था और मामला अभी भी बड़ी बेंच के समक्ष लंबित है। राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से भी जोड़कर देख रहे हैं। हाल के उपचुनावों के परिणामों और मुस्लिम समुदाय के नेताओं के बढ़ते दबाव के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया है।

प्रतिक्रियाएं:

सरकार के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों की बहाली बताया है, जबकि भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति (-शिरीशाशपीं झेश्रळींळली) बताते हुए कड़ी आलोचना की है।

हालांकि, नए आदेश के बाद अब राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के लिए शिक्षा के द्वार बिना किसी बाधा के खुल गए हैं।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com